



GM 877806

RS Affixed Rs. 10

(प्रारूप-“अ”)

समक्ष: प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

हम अवधेश कुमार मिश्र पुत्र अम्बिका प्रसाद अध्यक्ष एवं शिल्पा मिश्रा पुत्री अशोक कुमार मिश्रा क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव माधव सर्वोदय एजुकेशनल एण्ड चेरिटेबल सोसाइटी ग्राम मोकलपुर, पोस्ट रानी बाजार, अयोध्या शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

धारा-1 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा माधव सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मसी एण्ड पैरामेडिकल साइंसेज ग्राम मोकलपुर, पोस्ट रानी बाजार, अयोध्या नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

धारा-2 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम मोकलपुर, रानी बाजार, अयोध्या में भूमि स्थित है गाटा संख्या 328/0.80880 कुल रकबा 0.80880 भूमि है।

धारा-3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

धारा-4 यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 328/0.80880 कुल रकबा 0.80880 भूमि है। पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 25.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।

धारा-5 यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

धारा-6 यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित नक्शे को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(1)

अवधेश कुमार

शिल्पा मिश्रा

धारा-7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

धारा-8 यह कि इस संस्था में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

धारा-9 यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/गहाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

धारा-10 यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

धारा-11 यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती साझेदारी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

धारा-12 यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा-13 हम घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

21/5/20

ह० अध्यक्ष

शिल्पा मिश्रा

ह० सचिव

Notarized By SA

19/5/20

02/5/20